न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

नाम पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, आर.ए.एस.।

अपील संख्या 05/2019 जिला दौसा।

1. चांदकवंर पत्नि स्व0 कानसिंह
2. पृथ्वीसिंह पुत्र कानसिंह
3. गोपाल कंवर पुत्री कानसिंह
4. गिरधर कंवर पुत्री कानसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बहरावण्डा

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय
2. तहसीलदार सिकराय उपतहसीलदार बहरावण्डा।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 22.10.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 18/2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–14.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.10.2018 के खिलाफ दिनांक 15.01.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील चांदकंवर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2018 के द्वारा अपील खारीज कर उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2018 यथावत रखा गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बहरावण्डा द्वारा नामान्तकरण सख्या 63 वाके ग्राम बहरावण्डा में पारित निर्णय दिनांक 16.4.2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बहरावण्डा में आराजी खसरा नम्बर 533, 556, 579, 604, 774, 796, 800, 1113 कुल किता 8 रकबा 1.89 है0 भूमि स्थित है जो कि अपीलांटस की निजी सम्पति है। उसके संबंध में न्यायालय जागीर कमिश्नर राजस्थान द्वारा दिनांक 16.9.1966 को आदेश पारित कर उक्त भूमि अपीलांटस के पूर्वज भूतपूर्व जागीरदार श्री कानसिंह की सम्पति घोषित करते हुये अपने कब्जे में कायम रखने का निर्णय पारित किया गया जिसकी अनुपालना में अपीलांटस आज दिन तक उक्त भूमि पर काबिज हैं परन्तु जागीर आयुक्त राजस्थान के द्वारा पारित उक्त निर्णय की अनुपालना राजस्व रिकार्ड में नही की गई जिस पर अपीलांटस द्वारा तहसीलदार सिकराय के समक्ष जागीर कमिश्नर जयपुर मे निर्णय की अनुपालना करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9443 दिनांक 2.11.2016 के द्वारा तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये गये कि भूतपूर्व जागीरदार श्री कानसिंह के संबध में जागीर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.9.1966 यदि आज भी प्रभावी हो और उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में वाद/अपील/निगराली/रिट याचिका दायर होकर स्थगन आदेश प्रचलित नही हो तो उक्त निर्णरू की पालना में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। किन्तु उपतहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जिला कलक्टर दौसा के पूर्ववृर्ति पत्र कमांक 712 दिनांक 3.2.2016 का हवाला देते हुये विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तकरण खारीज कर दिया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांटस की अपील खारीज कर दी गई। उनका कथन है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 2.11.2016 को उक्त नामान्तकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जिला कलक्टर दौसा के पूर्ववृर्ति पत्र दिनांक 3.2.2016 को आधार मानकर नामान्तकरण संख्या 63 वाके ग्राम बहरावण्डा खारीज कर दिया गया। अधीनस्थ दोनो न्यायालयो ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.4.2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2018 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 63 दिनांक 16.4.2018 वाके ग्राम बहरावण्डा के संबंध में है। अपीलांटस द्वारा तहसीलदार सिकराय के समक्ष ग्राम बहरावण्डा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 533, 556, 579, 604, 774, 796, 800, 1113 कुल किता 8 रकबा 1.89 है0 भूमि के संबंध में न्यायालय जागीर आयुक्त राजस्थान द्वारा दिनांक 16.9.1966 को पारित निर्णय की अनुपालना करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिकराय द्वारा जिला कलक्टर दौसा से मार्ग दर्शन लिया गया। जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने पत्र कमांक 9443 दिनांक 2.11.2016 के द्वारा तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये गये कि भूतपूर्व जागीरदार श्री कानसिंह के संबंध में जागीर आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.9.1966 यदि आज भी प्रभावी हो और उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में वाद/अपील/निगराली/रिट याचिका दायर होकर स्थगन आदेश प्रचलित नही हो तो उक्त निर्णय की पालना में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त निर्देश की पालना में एवं तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 23.02.2017की पालना में हल्का पटवारी बहरावण्डा द्वारा उक्त भूमियो के संबंध में अपीलांटस के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 63 भर कर उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत किया गया। उपतहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जिला कलक्टर दौसा के पत्र कमांक 712 दिनांक 3.2.2016 से प्राप्त विधिक राय का हवाला देकर प्रकरण में जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर का निर्णय दिनांक 16.9.1966 परिसीमा अधिनियम से बाधित होने एवं न्यायालय के निर्णय की पालना बिना इजराय के नही किये जा सकने की स्थिति में उक्त भूमियो के संबंध में अपीलांटस के पक्ष में भरा गया नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 16.4.2018 वाके ग्राम बहरावण्डा खारीज किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश कर उप तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश दिनांक 16.4.2018 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील चांदकंवर बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 22.10.2018 पारित कर अपील अपीलांटस् खारीज करते हुये उपतंहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2018 यथावत रखा गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

8. हम समझते है कि प्रकरण में जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 16.9.1966 परिसीमा अधिनियम से बाधित होने एवं न्यायालय के निर्णय की पालना बिना इजराय के नही किये जा सकने की स्थिति में नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 16.4.2018 वाके ग्राम बहरावण्डा पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा एवं न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner